

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 39/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2021

सा.का.नि. (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ), जिमसे बम्बू फाइबर, डाइड फाइबर, मॉडल फाइबर और फायर रिटायडेंट फाइबर नहीं आते हैं" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 777 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/03/2021-डीजीटीआर, दिनांक 22 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 22 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 777 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फाइल संख्या-सीबीआईसी-190354/74/2021-टीओ-(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. 777 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।